International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 04(I), October - December, 2025, pp. 100-105

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मीनाक्षी करयाम[1*] | डॉ. एस.के. खटीक[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
[2]प्राध्यापक एवं पूर्व विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।

[*]Corresponding Author: minakshimarkam4@gmail.com

Citation: मीनाक्षी करयाम, एस.के. खटीक.(2025). मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(04(I)), 100–105.

सार

मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा एवं रोजगार में निरंतर वृद्धि होती आ रही हैं। सरकार द्वारा संचालित इस योजना में जन्म से प्रोत्साहित करना ताकि बेटियों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो सकें। साथ ही समाज में लिंग चयन करने वाले लैंगिक पूर्वगृहो को समाप्त करना तथा बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान करना। जिससे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बेटियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस हेतु सरकार बेटियों को निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लागू होने से समाज में बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा महिला रोजगार में भी वृद्धि हुई हैं। यह योजना समाज में बेटियों के उत्थान के लिए सार्थक रही हैं।

शब्दकोश: *बेटी पढ़ाओ योजना, बाल विकास, विश्लेषणात्मक अध्ययन, आर्थिक सहायता, रोजगार।*

JEL CODE: A10, A14, A13, A12, A10, A19

प्रस्तावना

मान्यता के अनुसार समाज में बेटी के जन्म होने पर ही बेटे के परिवार को मान सम्मान और गौरवपूर्ण परिवार माना जाता है और बेटे के जन्म होने पर शुभकामनाएं तथा बधाइयां संदेश देने की परंपरा रही है। बालक के जन्म की प्रधानता के महत्व के कारण कुछ राज्यों में महिलाओं के गर्भधारण होने पर एवं डॉक्टर द्वारा जांच कर अल्ट्रासाउंड तकनीकी की मदद से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का पता लगा लिया जाता था। यदि गर्भवती मां के गर्भ में बेटी होने की पहचान बनी रहती तो उसे गर्भ में अर्थात महिला गर्भ की अवस्था की आरंभ से ही भ्रूणके लिंग का पता लगाकर इसको मार दिया जाता था। मालिकाओं के प्रति भेदभाव और तकनीकी के कारण अल्ट्रासाउंड प्रशिक्षण में कन्या भ्रुण के रुप में पहचान कर, बालिका शिशु को मार दिया जाता था। गर्भवती माता द्वारा गर्भपात में लगातार चल रही वृद्धि को कम करना है। वर्ष 1991 में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना और वर्ष 2021 जनगणना के परिणाम के अनुसार इसकी लगातार गिरती समस्याओं को बताता है। वर्ष

[*] *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

2011 की जनगणना के परिणाम से यह पता चलता है कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या 58.64 करोड थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 48.5 प्रतिशत है। देश और समाज में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या विभिन्न कारण से उत्पन्न समस्याएं जैसे माता–पिता अपनी बेटियों के लिए बड़ा दहेज इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो पाए जिससे ससुराल में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। यहां तक की महिलाओ को मृत्यु जैसी खतरनाक परिणाम का सामना करना पड़ता है।

शोध विषय के अध्ययन का औचित्य

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। इस योजना के अंतर्गत बेटियों के उत्थान के लिए और भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात में समानता लाना है। यह योजना राज्य की बेटियों के लिए कारगर साबित हो रही है, क्योंकि इस योजना से बेटियों की संख्या में वृद्धि कर उनको विभिन्न कार्यों में प्रोत्साहित करना है। इससे उनको शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक रूप से विकसित किया जा सके आता है यह शोध अध्ययन में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का अध्ययन सार्थक रहा है।

शोधसाहित्य का पुनरावलोकन

कपूर (प्रो.) प्रमिला (2012): स्त्री शिक्षा एक मूल्यांकन– आजादी के तुरंत बाद से ही भारत सरकार ने बालिका शिक्षा की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू कर दिए थे। इसी कारण भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न विभागों, आयोग एवं समितियां का भी गठन किया गया ताकि शिक्षा की राह में आने वाली बांधा को समझा जा सके और फिर उसका निराकरण किया जा सके। सरकार के इस प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और अब बालिकाओं के बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार अपेक्षा से काफी बढ़ गई है। लेकिन यहां संतुष्ट होकर हाथ पैर हाथ बैठ जाने का नहीं है, बल्कि शिक्षा की दिशा में ओर अधिक काम करना है।

कुमार गौरव (2015): महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनादृ लेखक के अध्ययन से स्पष्ट है कि देश का विभिन्न भागों में जहां समाज में जागरूकता और नैतिकता की कमी है। बेटियों को पैदा होने के पूर्वगर्भ में मार दिया जाता है। अब तो यह सभ्यऔर शिक्षक समाज में भी प्रचलित हो गया है। इसी का नतीजा है कि भारत में स्त्री और पुरुष लिंगानुपात में भारी कमी होती जा रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात (0–6) वर्ष प्रति हजार बालको पर 927 बालिका थी जो 2011 में घटकर 919 रह गई है। आज भारत में महिलाओं के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कई तरह से समस्याएं हैं। इसका संरक्षण, पोषण और वितरण भी उसी रूप में जरूरी है। एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से नहीं पहुंच पाता। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ जो घटते लिंगानुपात को कम करने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

नतानी प्रकाश नारायण (2010): महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार– इस शोध अध्ययन में यह पाया गया है कि वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। उन्हें सभी प्रकार के आवश्यक और मौलिक अधिकार उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भारतीय संविधान में उसके अनुच्छेद 15 के लिए लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का मतभेद का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान दर्जा, इसी प्रकार अनुच्छेद 23 व 24 में किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध किया गया है। इसके अलावा कई अनुच्छेद हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों को समाहित किया गया है जिससे महिलाएं सशक्त हो सके।

शोध विषय के अध्ययन के उद्देश्य

शोध विषय के अध्ययन के उद्देश्य निम्न लिखित है–

- समाज में बालक एवं बालिकाओं के जन्म होने की समाज की अवधारणा का अध्ययन करना।
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बालिका सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का मूल्यांकन करना।

शोध विषय के अध्ययन की परिकल्पनाऐ

इस शोध विषय के अध्ययन की शून्य परिकल्पना इस प्रकार है:—

- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालितबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटन राशि एवं व्यय राशि में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध संरचना/शोध विधि

किसी भी शोध कार्य को करने के लिएसमंको एवं साहित्य की आवश्यकता होती है। बिना समंक एवं साहित्य के अभाव में शोध करना कठिन होता है। इस प्रकार शोध कार्य के लिए साहित्य एवं शोध की आवश्यकता होती है। समंकदो प्रकार के होते हैं प्राथमिक संमक एवं द्वितीय संमक। प्राथमिक संमक ऐसे समंक होते हैं जो पूर्व से प्रकाशित नहीं होते, द्वितीय संमकवह समंक होते हैं जो पूर्व से प्रकाशित होते हैं। इस शोध कार्य में द्वितीय समंको का उपयोग किया गया है। द्वितीय समंक के स्रोतों के रूप से वार्षिक प्रतिवेदन,बजट, सांख्यिकीय प्रतिवेदन, प्रकाशित जनगणना, इंटरनेट तथा अन्य प्रकाश दस्तावेज होते हैं जो की इन सम्मिलित दस्तावेजों का उपयोग द्वितीय समंकके संबंध में है। इस शोध कार्य में शोध विषय के अध्ययन के रूप में ली गई उद्देश्यों का विस्तृत अध्ययन विभिन्न अध्याय एवं योजनाओं के माध्यम से किया गया है तथा शोध विषय के अध्ययन ली गई शून्य परिकल्पना भी स्टूडेंट टी टेस्ट के माध्यम से किया गया है। शोध विषय के अध्ययन में ली गई परिकल्पना सार्थक है या नहीं है।

शोध विषय के अध्ययन की सीमाएं

शोध कार्य की अपनी सीमाएं होती हैं जो इस प्रकार है –

- पर्याप्त शोध साहित्य एवं समंकों का अभाव है।
- इसमें शोध कार्य में अधिकांश द्वितीय समंको का उपयोग किया गया है।
- द्वितीय समंकोका विश्वसनीयता अंकेक्षण पर निर्भर करती है।
- समंकका वर्गीकरण, सामूहिकरण शोध विषय के अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार है।
- इस शोध अध्ययन में सीमित समय अवधि का अध्ययन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015—16 से 2024—25 तक किया गया।

मध्य प्रदेश में संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मध्य प्रदेश द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत सेल्फीविथडॉटर को जून 2015 में मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया। इसकी शुरुआत हरियाणा के जींद के बीबपुर गांव के सरपंच सुनीलजागलान ने अपनी बेटी नंदिनी के साथ एक सेल्फी लेकर की थी। फेसबुक पर पोस्ट कर भारत में प्रसिद्ध भी हासिल की थी। 26 अगस्त 2016 को ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक कोबेटी बचाओ,, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। वर्ष 2021— 26 तक 15वीं वित्त आयोग में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति के साथ इस योजना को एकीकृत किया गया। इस योजना का प्रारंभ परेड के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की जिसमें 'बधाई हो बेटी हुई है 'लिखा था।इस संदेश ने सभी का दिल छू लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना लिंग चयन वाले लैंगिक पूर्व ग्रह को समाप्त करना है। समाज में बेटियों की भ्रूण हत्या और लिंग आधारित चुनाव को समाप्त कर बेटियों के जन्म को अधिक प्रोत्साहित करना है। बेटियों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो सके और उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। बेटियों को समाज में सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना है। जनकल्याण से जुड़े सभी सेवाओं एवं अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना है। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से समस्त जिलों में कार्य योजना का क्रियान्वयन कर उसका संचालन करना है और इन गतिविधियों का कैलेंडर जारी करके कार्यक्रमों को संपन्न करना है जिसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। इस योजना के

अंतर्गत राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया जाता है और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आंदोलन व अभियान चलाए जाते हैं। विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक विचार विमर्श भी किया जाता है और चिन्हित निम्न लिंगानुपात वाले जिलों का गहनता एवं एकीकृत रूप से कार्यवाही की जाती है। स्थानीय संगठन एवं युवाओं के सहयोग से पंचायती राज, जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रेरित किया जाता है और इस उद्देश्य से प्रशिक्षण देकर भूमिका को बनाने का प्रयास करना है। वर्तमान भारत में चाइल्ड सेक्स अनुपात 914 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 927 थी। प्रदेश में चाइल्ड सेक्स अनुपात 912 है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में लगभग सभी राज्यों में चाइल्ड सेक्स अनुपात में लगातार गिरावट देखने को मिली है। घटते हुए लिंगानुपात को महत्व देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई।योजना अनुसार उन जिलों को चिन्हित कर जहां औसत चाइल्ड सेक्स अनुपात 912 अथवा इससे कम अनुपात है, लिंगानुपात को कम से कम करने के लिए विभिन्न आयोजन का क्रियान्वयन किया गया। इसमें दतिया, भिंड एवं टीकमगढ़ जिले में योजना को संचालित किया गया जिससे लोगों में जागरूकता लायी जा सके और लिंगानुपात में अधिक सुधार हेतु प्रयत्न किया जा सके। स्कूल के बच्चों द्वारा रैली, स्थानीय विशेष उपलब्धियां वाली बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान और बेटी के जन्म पर वृक्षारोपण, नाटक द्वारा प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015–16 में प्रदेश के कम शिशु लिंगानुपात वाले छरू जिला और वर्ष 2018–19 में 36 जिलों एवं 2022–23 में 10 जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा चलाया गया। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के समन्वय से प्रयास किया गया है। बेटियों की भागीदारी के लिए खेल प्रतिभा की पहचान के अंतर्गत केंद्र और राज्य योजना में शामिल किया गया। बेटियों को जमीनी स्तर से जोड़ने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, आत्मरक्षा शिविर, खेल को बढ़ावादेना, शौचालय का निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता लाने का प्रयास है। प्रतिवर्ष राष्ट्र बालिका दिवस का आयोजन करना।

मध्य प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 2015–16 से 2024–25 तक के आंकड़े आवंटन राशि एवं व्यय राशि प्रदर्शित की गई है। यह आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास से लिए गए हैं तथा यह विभाग सभी योजनाओं का आंकड़ा अपने पास वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा प्रदर्शित करती है। उसमें से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जिसकी तालिका इस प्रकार है–

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना में आवंटन राशि, व्यय राशि

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन राशि (लाखों में)	व्यय राशि(लाखों में)
2015-16	101.35	47.34
2016-17	101.35	85.16
2017-18	920.00	620.05
2018 19	895.00	501.15
2019-20	0.00	0.00
2020-21	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00
2022- 23	2100.00	537.24
2023- 24	1510.00	1401.84
2024- 25	1510.00	1401.84

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश, वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 से 2024– 25

व्याख्या

मध्य प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के आंकड़े इस तालिका में रखे गए हैं। जिसमें आवंटन राशि,व्यय राशि के आंकड़े रखे गए हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में आवंटन राशि 101.35 लाख रुपये है। वर्ष 2017–18 में 920.00 लख रुपये हैं जो गत वर्ष की तुलना में कम दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2018–19 में 895.00लाख रुपये आवंटन राशि है, जो गत वर्ष की तुलना में कम देखे गए हैं। वर्ष 2019–20, वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 में गत वर्ष की तुलना में कोई राशि आवंटन नहीं की गई। वर्ष 2022–23 में 2100.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई जो गत वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। वर्ष 2023– 24 में 1510.00 तथा 2024–25 में 1510.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई जो गत वर्ष की तुलना में कम दिखाई देती है।

इस योजना में खर्च की गई राशि के आंकड़े है। वर्ष 2015–16 में 47.34 लाख रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2016–17 में 85.16 लाख रुपये खर्च की राशि किए गए जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2017–18 में 620.05 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई जो गत वर्ष की तुलना में कम दिखाई देती है। वर्ष 2018–19 में 501.15 लाख रुपये की राशि आवंटन की गई जो गत वर्ष की तुलना में कम दिखाई देती है। वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 में कोई राशि खर्च नहीं की गई है। वर्ष 2022–23 में 537.24 लख रुपये की राशि खर्च की गई है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2023– 24 तथा वर्ष 2024– 25 में 1401.84 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

शोध विषय के अध्ययन में ली गई परिकल्पना का परीक्षण

शून्य परिकल्पना दृमध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटन राशि एवं व्यय राशि में सार्थक अंतर नहीं है।

r = +0.70

$t = \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} x\sqrt{n-2}$

t = 2.13

t005 = 3.35

अवलोकन

शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना का परीक्षण स्टूडेंट टी टेस्ट की गणना का मान 2. 13 है जबकि सारणीयन मान 5 प्रतिशत पर 3.35 है। यह सारणी मान की गणना की गई मान से अधिक होने के कारण शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना स्वीकार है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना सार्थक रही है क्योंकि इस योजना में सरकार द्वारा बजट में की गई प्रावधान राशि एवं व्यय राशि दोनों में वृद्धि हो रही है तथा अधिकांश आवंटन राशि का लगभग व्यय किया जा रहा है इसलिए इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है जो महिलाओं के उत्थान में सार्थक हो रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लिंग चयन करने वाले लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करना है। बेटियों के जन्म से प्रोत्साहित करना ताकि बेटी को शिक्षा, समान अवसर प्रदान करना है तथा उनके शिक्षा को बढ़ावा देना है। बेटियों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना है ताकि बेटियों के कल्याण से जुड़ी सभी समस्याओं एवं अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता लाया जा सके।

सुझाव

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा एवं रोजगार में वृद्धि पाई गई है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में हितग्राहियों की संख्या को देखते हुए आवंटन राशि एवं व्यय राशि में वृद्धि करनी चाहिए जिससे की बेटियों का ओर अधिक विकास हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपूर प्रोफेसर प्रमिला (2012), स्त्री शिक्षा एक मूल्यांकन ।
2. कुमार गौरव (2015), महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ।
3. नतानी प्रकाश नारायण (2010), महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार।
4. महिला एवं बाल विकास विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 से वर्ष 2024– 25
5. गठिया जोसेफ(2002)," भारत में बालिका धर्म हिंसा क्षमता एवं परिवर्तन", कॉन्सेप्टपब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली
6. जैन उषा शिरीष(2011), "बेटीबचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाल निधि," नई दिल्ली
7. कानिटकरमुकुल (2016), "भारत में महिला शिक्षा समाज व सरकार की भूमिका" योजना पत्रिका सितंबर, नई दिल्ली
8. लता डॉ.मंजू (2009), "अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न", अर्जुन पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली
9. मिश्रा(डॉ) दीपिका (2013)," महिला संरक्षण एवं कानून, अन्नपूर्णा प्रकाशन, रायपुर
10. नादान मुकेश, निशा अग्रवाल (2016)," भ्रुण हत्या दोषी कौन? स्नेह साहित्य सदन नई दिल्ली

वेबसाइट

11. www.mpwcdmis.gov.in
12. www.cencusindia.gov.in

❑❑❑